

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी भवन, एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची।

॥ अधिसूचना ॥

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 908 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री मृत्युंजय कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 909 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्रीमती जया शंखी मुरमु (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती मुरमु को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 910 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री ज्ञान शंकर जायसवाल (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री जायसवाल को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 911 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री प्रवीण चौधरी (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री चौधरी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

man
30/07/25

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 912 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री गौतम कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, प०सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 913 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री संतोष कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 914 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री महेश्वरी प्रसाद यादव (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री यादव को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 915 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री हरिशंकर बारिक (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री बारिक को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 916 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री उमेश मण्डल (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था०पद०-02-02/2025 का० 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री मण्डल को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

Manoj
30/07/25

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 917 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्रीमती मारुति मिंज (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती मिंज को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 918 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रियदर्शी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 919 /राँची, दिनांक -30.07.2025

श्री मिथिलेश कुमार चौधरी (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. श्री जय प्रकाश करमाली, जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका एवं श्रीमती मनीषा वत्स, जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ की सेवा कार्यहित में पैतृक विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

X mang
30/07/25

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 919 /राँची, दिनांक -30.07.2025

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/ई-गजट (नोडल पदाधिकारी), परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

X mang
30/07/25

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 919 /राँची, दिनांक -30.07.2025

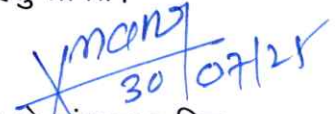
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

X mang
30/07/25

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 919 /राँची, दिनांक -30.07.2025

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।